संख्या-1/64/इक्कीस-उर्दू-2-2014 (2/2012)

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष एंव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र।

2- सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ0प्र0 इलाहाबाद।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 01 अगस्त,2014

विषय- उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पुरस्कार राशि में वृद्वि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृ राज्य के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उर्दू भाषा की जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्यत: प्रतिवर्ष हाईस्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सफल परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

2- उक्त परीक्षा में परीक्षार्थियों की निरन्तर घटती हुई संख्या के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्वि किये जाने पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया।

3- अत: इस संबंध में श्री राज्यपाल महोदय, उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में एवं आगामी वर्षों आयोजित होने वाली परीक्षा में निम्नवत पुरस्कार राशि प्रदान करने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

1- हाई स्कूल स्तर:

प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण	रू0 1400/- (रूपया एक हजार चार सौ मात्र)
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	रू0 1000/- (रूपया एक हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण	रू0 800/- (रूपया आठ सौ मात्र)

2- जूनियर हाई स्कूल स्तर:

प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण	रू0 600/- (रूपया छ सौ मात्र)
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण	रू0 400/- (रूपया चार सै मात्र)
तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण	रू0 200/- (रूपया दो सौ मात्र)

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-1062/दस-2014 दिनांक 01 अगस्त,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-64(1)/इक्कीस-उर्दू-2-2014 (2/2012) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम एंव द्वितीय तथा आडिट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7

5- सचिवालय के समस्त अनुभागो को अपने प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन विभागों/संस्थाओं को सूचनार्थ भेजने हेतु।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(शाहिद अली)

अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in